प्रेस नोट

दिनांक 01.02.2026

गुमशुदा बालक के सकुशल मिलने एवं परिजनों के सुपुर्द किए जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि दिनाँक 31.01.2026 को आगन्तुक कालीचरन पुत्र हेतराम, निवासी थोक कस्बा व थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मुस्करा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि उनका पुत्र आर्यश उम्र करीब 10 वर्ष दिन में समय करीब 14.00 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया था। उक्त बालक अपनी मौसी के घर नौरंगा जाने की जिद कर रहा था, जिसे न भेजे जाने पर वह घर से चला गया। परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई, किन्तु बालक का कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुस्करा पर गुमशुदा मु0अ0सं0 29/2026, धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनाँक 01.02.2026 को आवेदक कालीचरन द्वारा थाना मुस्करा उपस्थित होकर एक अन्य प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि उनका पुत्र आर्यश उम्र करीब 10 वर्ष देर रात्रि समय करीब 02.10 बजे अपनी मौसी के घर नौरंगा सुरक्षित पहुँच गया है। इस सम्बन्ध में सूचना सचिन पुत्र राजू सिंह निवासी नौरंगा द्वारा दी गई कि उक्त बालक उनके पास आ गया है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं चाहिए।

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा बालक आर्यश को उसके माता-पिता के साथ बाल कल्याण अधिकारी/विवेचक उ0नि0 श्री राजीव कुमार साहू के समक्ष बैठाकर धारा 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान अंकित कराते हुए बालक को सकुशल उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।